



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)
सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 2351

2016/बिलासपुर/दिनांक -14-12-16

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
 रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 of 112.385 Ha. of Revenue forest land for Coal Mining Regarding SECL Gevra Project. Registraion No. FP/CG/MIN/13199/2015

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-215/2715 दिनांक 054.118.2015

—00—

विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि, प्रकरण में उठाये गये आपत्ति बिन्दू क्रमांक 01 से 07 का निराकरण कर वनमण्डलाधिकारी कटघोरा के पत्र क्रमांक 1737, दिनांक 06.12.2016 के द्वारा प्रेषित किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	पालन प्रतिवेदन
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 250 के वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के कॉलम नं. 07 में वृक्षों का विवरण नहीं है। परन्तु ऑन लाईन विदोहित होने वाले पेड़ों की संख्या का विवरण दिया गया है। प्रतिवेदन में कई तथ्य अनुमान से दर्शित है। पृ.क्र. 135 में वन परिक्षेत्र अधिकारी के हस्ताक्षर अनुसार कुल पेड़ों की संख्या 3545 दर्ज है परन्तु ऑनलाईन कुल पेड़ों की संख्या 3794 दर्शाया गया है। दोनों में विरोधाभास है। इस संबंध में वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल जानकारी मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें। वनमंडलाधिकारी स्वयं स्थल निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रेषित करें।	वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार संशोधित निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न किया है एवं मौके पर प्रभावित वनभूमि में 761 वृक्ष विद्यमान है जिसका विदोहन योजना परीक्षेत्र अधिकारी कटघोरा से सत्यापन करने के पश्चात् प्रस्तुत किया है, वृक्षों की सही संख्या ऑनलाईन अपलोड किया गया है। पूर्व में दर्शाये गये वृक्षों की संख्या 3545 एवं 3794 त्रुटीपूर्ण है। 761 वृक्षों की विदोहन योजना एवं सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-1)
2.	प्रस्ताव में वन अधिकार वितरण हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति का सत्यापित कार्य विवरण संलग्न करें।	प्रस्ताव में वन अधिकार वितरण हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति का सत्यापित प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-2)

3.	केवल प्रस्तावित वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन प्राणियों के Zoological Name की सूची प्रस्ताव में संलग्न करें।	केवल प्रस्तावित वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन प्राणियों के Zoological Name की सूची में (✓) चिन्ह से अंकित किया गया है। सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-3)
4.	परियोजना से संबंधित माइनिंग प्लान संलग्न करें। (04 प्रतियों में)	परियोजना से संबंधित माइनिंग प्लान संलग्न है। (अनुलग्नक-4)
5.	आवेदित क्षेत्र एवं वैकल्पित वृक्षारोपण क्षेत्र का DGPS रिपोर्ट मय सी.डी. शेप फाईल KML File संलग्न करें।	आवेदित क्षेत्र एवं वैकल्पित वृक्षारोपण क्षेत्र का DGPS रिपोर्ट मय सी.डी. शेप फाईल KML File संलग्न है। (अनुलग्नक-5)
6.	आन लाईन फॉर्म 02 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की (KML FILE) जानकारी अपलोड नहीं की गई है।	आन लाईन फॉर्म 02 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की (KML FILE) जानकारी अपलोड कर दी गई है। (अनुलग्नक-6)
7.	वनमंडलाधिकारी द्वारा टाईम लाईन की हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न नहीं है।	वनमंडलाधिकारी द्वारा टाईम लाईन की हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-7)

अतः प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृ.क्र./तक./ 2352

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा (छ.ग.)
2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा, तहसील कटघोरा, की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
बिलासपुर, दिनांक...14.12.16

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर